पत्र संख्या–1/विविध 24–22/2011 खण्ड–I (979)/लो०से०आ०

बिहार लोक सेवा आयोग

पटना, दिनांक 03/7/2015

प्रेषक,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

सामान्य प्रशासन
प्राप्ति
8359(i)
08 JUL 2015
सं०............

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– **समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक उ०स्त०स०/सा०प्र०–01/2015–सा०प्र०–002, दिनांक 19.05.2015 एवं ज्ञापांक 10, दिनांक 15.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक उ०स्त०स०/सा०प्र०–01/2015–सा०प्र०–002, दिनांक 19.05.2015 एवं ज्ञापांक 10, दिनांक 15.06.2015 में अंकित बीस सूचनाओं के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग में श्री ओम प्रकाश सिन्हा, कम्प्यूटर प्रोग्रामर (बाह्य व्यक्ति) को कार्यालय आदेश संख्या 1051, दिनांक 04.03.2005 द्वारा आयोग कार्यालय में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं निजी सहायकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 07.02.2005 से अगले छः माह के लिए 4200/– (चार हजार दो सौ रूपये) प्रतिमाह भुगतान की शर्त्त पर ठेका के आधार पर रखा गया था। इन्हें किसी स्वीकृत पद के विरूद्ध नहीं रखा गया है। आयोग में निगरानी विभाग के जांच के दौरान कम्प्यूटर शाखा के दो एनालिस्ट प्रोग्रामर तथा एक इन्फॉरमेशन ऑफिसर–सह–लाइब्रेरियन के गिरफ्तारी के फलस्वरूप कम्प्यूटर शाखा में श्री ओम प्रकाश सिन्हा, कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में ठेका के आधार पर निश्चित मासिक पारिश्रमिक के तहत उनके सेवा का विस्तार किया गया ताकि आयोग का परीक्षा संबंधी कार्य निर्बाध्य रूप एवं सुचारू ढंग से चलता रहे। श्री सिन्हा को भिन्न–भिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा पारिश्रमिक राशि की बढ़ोतरी करते हुए वर्तमान में कार्यालय आदेश संख्या 208, दिनांक 12.11.2014 द्वारा 21031/–रू० मासिक पारिश्रमिक एवं 100/–रू० दैनिक सवारी भत्ता के आधार पर अधिकतम 3000/–रू० मासिक सवारी भत्ता अर्थात् अधिकतम कुल राशि 24000/– (चौबीस हजार रूपये) मात्र मासिक पारिश्रमिक भुगतान की शर्त्त पर रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।